

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 12 अप्रैल, 2006/चैत्र 22, 1928(शक)

संख्या- 156

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., डाबरी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री महाबल मिश्रा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 11.04.2006 को 1610 बजे डाबरी क्षेत्र, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान 1900 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 12th April 2006/22 Chaitra 1928

No. 156

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Dabri, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Mahabal Mishra, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 D.P. Act, from Dabri area at 1610 hrs. on 11.4.2006.

He was released at 1900 hrs. from the same place on same date."

Siddharath Rao
Secretary